संकल्प सं0-18/प्रशि0-01-02/2016,सा0प्र0............/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

!!संकल्प!!

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-12339 दिनांक-14.11.2011 के माध्यम से राज्य की घोषित नीतियों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य के सरकारी सेवकों के ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन एवं उनमें कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर राज्य के विकास में उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग करने की दृष्टि से राज्य प्रशिक्षण नीति का निरूपण राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक संकल्प की कंडिका-05 एवं 06 में इस हेतु प्रशिक्षण और व्यय की व्ययवस्था का उल्लेख है। इन कंडिकाओं के मूल पाठ निम्नवत् हैं:-

(i) कंडिका-5

"सभी विभाग अपने अधीनस्थ सम्वर्गो/सेवाओं/पदधारकों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करेगें तथा इस कार्य में बिपार्ड अथवा अवश्यकतानुसार अन्य परामर्शी एवं विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर सकेगें।"

(ii) कंडिका-6

"राज्य प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विभाग/संगठन अपने मूल वेतन का 1.5 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण के लिए कर्णांकित करेगें जो केवल प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा तथा किसी भी हालत में इसे अन्य मदो में विचलित नहीं किया जायेगा"

3. सरकार की संदर्भित नीति के आलोक में राज्य के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जनोन्मुखी एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए उनकी सेवा/सम्वर्ग के अनुसार सेवाकालीन प्रशिक्षण समय-समय पर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना (बिपार्ड) तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्तमान में आयोजित किये जाते हैं। सरकारी तंत्र में नये-नये तकनीकों के समावेश के कारण कार्यापेक्षाओं में महती परिवर्तन हुए हैं और दायित्व निर्वहण की चुनौतियाँ भी काफी बढ़ी हैं। फलस्वरूप, सरकारी सवकों के लिए प्रशासकीय प्रबंधन की निपुणता समय की माँग है।

4. वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के राजपत्रित पदाधिकारी के लिए पटना स्थित एक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान- चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के सहयोग से निम्नांकित शर्तो पर प्रशासकीय प्रबंधन कार्यक्रम (Executive Management Programme) प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(i) प्रशिक्षण की अवधि 11 (ग्यारह) माह की होगी।

(ii) प्रशिक्षण का उद्देश्य सामान्य प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य सरकार के पदाधिकारियों को क्षमता एवं विशेषज्ञता प्रदान करना होगा।

(iii) राज्य सरकार प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु राज्य सेवाओं के राजपत्रित पदाधिकारियों को नामित करेगी।

(iv) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, राज्य सरकार द्वारा नामित पदाधिकारियों को Aptitude test and Personal Interview के आधार पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित करेगा।

(v) प्रशिक्षण का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

(vi) संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली कक्षाओं में भाग लेने वाले पदाधिकारियों के लिए राज्य सरकार तीन माह का (सवैतनिक) अध्ययन अवकाश स्वीकृत करेगी। शेष अवधि में अध्ययन, पदस्थापन स्थान पर कर्तव्य पर रहते हुए प्रोजेक्ट वर्क आदि सम्पादन में बितायी जायेगी।

(vii) पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

5. आलोच्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना नोडल विभाग होगा। विभागों के अधीनस्थ राज्य सेवाओं के 55 वर्ष से कम उम्र के पदाधिकारियों का मनोनयन प्रशासी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध सीटों से दुगने नामों की अनुशंसा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को भेजी जायेगी। संस्थान द्वारा आयोजित Aptitude test and Personal Interview में चयनित पदाधिकारिगण निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। वर्तमान में यह व्यवस्था 3 वर्षों के लिए होगी इसके असर का मुल्यांकन करने के बाद इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे चलाने पर विचार किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण शुल्क आवासीय सुविधा सहित प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रतिभागी 3,00,000/-(तीन लाख रू0 मात्र) तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण शुल्क 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार रू0 मात्र) प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रतिभागी होगा। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को किया जायेगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(अभिषेक सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/प्रशि0-01-02/2016सा0प्र0........./ पटना, 15 दिनांक-................................/

प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/प्रशि0-01-02/2016सा0प्र0........./ पटना, 15 दिनांक-................................/

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/प्रशि0-01-02/2016सा0प्र0 7926 / पटना, 15 दिनांक- 2-6-16 /

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव एवं सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।